न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

राकेश कालिया और अन्य, - ***याचिकाकर्ता***

बनाम

भारत का संघ और अन्य -*उत्तरदाता*

सीडब्ल्यूपी संख्या 14942 सन् 2010

14 सितंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 - वेतनमान प्रदान करने के लिए शेट्टी आयोग की सिफारिश- सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों को निर्देश देने वाला उच्चतम न्यायालय - शेट्टी आयोग द्वारा आशुलिपिक संवर्ग संवर्ग की तुलना में उच्चतर वेतनमानों की सिफारिश करना - भेदभाव - इसे चुनौती - वेतनमानों का निर्धारण - विशेषज्ञ निकायों का कार्य - शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के लिए अनुमेय - याचिका खारिज की गई।

अभिनिर्णित, कि अब वेतनमान दिए जा रहे हैं और विस्तार से संदर्भित किए जा रहे हैं, शेट्टी आयोग की सिफारिश पर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता 7 अक्टूबर, 2009 के आदेश में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भरोसा करते हैं कि यह अदालत शेट्टी आयोग की सिफारिश को रद्द करने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकती है। दिनांक 7 अक्तूबर, 2009 के आदेश में निहित निदेशों से यह पूर्णत स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और उच्च न्यायालय के साथ-साथ राज्यों द्वारा भी इसके कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए थे। पक्षकारों को राज्यों/उच्च न्यायालयों में जाने की स्वतंत्रता केवल शेट्टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में है-अन्यथा नहीं। एक बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पक्ष पर शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और राज्य और उच्च न्यायालयों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, तो इस न्यायालय के लिए शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने की अनुमति नहीं है, वह भी इस देरी के चरण में।

(पैरा 9)

जी. एस. भाटिया, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता के लिए।*

न्यायमूर्ति, प्रमोद कोहली। (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता चंडीगढ़ में अधीनस्थ न्यायपालिका में विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड I, ग्रेड II और ग्रेड III के रूप में काम कर रहे हैं। यह याचिका शेट्टी आयोग की सिफारिश से पैदा हुई कथित विसंगति को दूर करने और लिपिक संवर्ग की तुलना में स्टेनोग्राफी संवर्ग के वेतनमान में इसके कार्यान्वयन के लिए दायर की गई है। संक्षेप में, इस याचिका में अनुरोध शेट्टी आयोग की सिफारिश में संशोधन और स्टेनोग्राफरों के कैडर को लिपिक कैडर के बराबर लाने के लिए है जो स्टेनोग्राफर की तुलना में उच्च वेतनमान में है। रिट याचिका आर्क में किए गए कथनों को संक्षेप में यहां-नीचे देखा जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें यूटी अधीनस्थ न्यायालय स्थापना (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1997 द्वारा शासित हैं। वेतनमान आदि पंजाब पैटर्न पर शासित होते हैं। नियमों के तहत आशुलिपि संवर्ग का पदानुक्रम निम्नानुसार है -

निर्णय लेखक (सीनियर ग्रेड)	रु. 6400-10640
जजमेंट राइटर (जूनियर ग्रेड), सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	रु. 5800-9200
स्टेनो टाइपिस्ट	रु. 3330-6200

(3) उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश स्तर स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए है। अगली पदोन्नति निर्णय लेखक (जूनियर ग्रेड) / सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पद पर और फिर निर्णय लेखक (सीनियर ग्रेड) के पद पर है। उनके वेतनमान भी उनके संबंधित पदों के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। यह कहा जाता है कि माननीय मुख्य न्यायमूत, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिनांक 31 अगस्त, 1989 के आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य की मात्रा और उनके सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का आकलन करने के लिए एक तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता डॉ बीबी पारसन, तत्कालीन उप रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने की थी। उन् होंने कहा कि समिति ने पंजाब और हरियाणा के विभिन् न जिलों का दौरा करने के बाद 27 अक् टूबर, 1989 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने सुझाव दिया कि 6400-10640 रुपये के वेतनमान में एक जजमेंट राइटर ग्रेड I और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ संलग्न होना चाहिए जबकि एक जजमेंट राइटर ग्रेड इलिन का वेतनमान 5800-9200 रुपये और एक स्टेनो टाइपिस्ट को उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और सिविल जज (जूनियर

डिवीजन) के साथ संलग्न किया। समिति की सिफारिशों को 29 मई 1995 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। वेतनमान के अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश से जुड़े जजमेंट राइटर्स को भी 100 रुपये का विशेष वेतन दिया गया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से जुड़े जजमेंट राइटर्स को भी 100 रुपये का विशेष वेतन दिया गया। उप-न्यायाधीश रु. 80 विशेष वेतन। यह आरोप लगाया गया है कि पूर्ण न्यायालय द्वारा समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के बावजूद, सिफारिशें अनिच्छुक रहीं। इस प्रकार, 1996 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9426 इस अदालत में दायर की गई थी जिसमें समिति की रिपोर्ट को लागू करने और स्टेनो टाइपिस्ट के नए पदों को बनाने की मांग की गई थी। स्टेनोग्राफर और जजमेंट राइटर्स आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान। भारत सरकार। विधि और न्याय मंत्रालय ने 28 मई, 1997 को भेजे गए पत्र द्वारा 71 पदों के सृजन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। पदों की मंजूरी पर विचार करने के बाद, रिट याचिका का निराकरण किया गया क्योंकि यह निष्फल हो गया था कि इस न्यायालय द्वारा जिला और सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ को 10 सप्ताह की अवधि के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जारी किए गए कुछ निर्देशों का 21 अगस्त, 1997 के आदेश द्वारा अनुपालन किया गया था। आगे कहा गया है कि शेट्टी आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से पहले। जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से संबद्ध पाठक 5800 9200 रुपये के वेतनमान में थे जबकि अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से जुड़े रीडर 3120-5160 रुपये वेतनमान में थे। जिला न्यायालयों में सेवारत कर्मचारियों ने "अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी परिसंघ" के रूप में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक संघ का गठन किया, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की नियुक्ति पर, जिसे शेट्टी आयोग के नाम से जाना जाता है, याचिकाकर्ताओं ने शेट्टी आयोग को संदर्भित करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को अभ्यावेदन दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शेट्टी आयोग से न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की भी जांच करने का अनुरोध किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में आयोग ने न्यायालयों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की भी जांच की और सिफारिशें कीं।याचिकाकर्ताओं के संघ ने पक्षकार के रूप में अभियोग के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किया।

(4) शेट्टी आयोग ने विभिन्न न्यायिक पदों और विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारिवृंद के संबंध में अपनी सिफारिश की थी। अधिकांश सिफारिशों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और 1 अप्रैल, 2003 से उनके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 अक्तूबर, 2009 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश पारित किए -

> “हमने कहा कि अभी तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया है। कुछ राज्यों ने सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है लेकिन 1 अप्रैल, 2003 से बाद की तारीख को लागू कर दिया है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निदेश देते हैं कि इसके

बाद इन मामलों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया जाएगा। हम निर्देश देते हैं कि:

"(i) न्यायिक प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय, एक वर्ष की उचित अवधि के भीतर शेट्टी आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं या आवेदनों की अनुमति देगा जो कर्मचारियों के विभिन्न सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी संघ द्वारा दायर किए जा सकते हैं।

(ii) उच्च न्यायालय यह भी देखेगा कि सिफारिशों को 1 अप्रैल, 2003 से कार्यान्वित किया जाए।

(iii) प्रारंभिक वेतनमान के बजाय मौजूदा वेतनमान पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कई राज्यों में देश के सदस्यों को समान लाभ नहीं दिए गए हैं। उच्च न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि इन सिफारिशों को लागू किया जाए।

(iv) कुछ राज्यों में विभिन्न अन्य वेतन आयोग की रिपोर्टों के आधार पर कर्मचारियों के सदस्यों को लाभ दिए गए थे, ये लाभ, यदि कोई हों, शेट्टी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अतिरिक्त होंगे। किसी भी मामले में, यदि कर्मचारी संघ/अधीनस्थ स्टाफ के सदस्यों को वेतन आयोग या सरकारी आदेशों की किसी भी सिफारिश पर उन्हें लाभ उठाने की अनुमति होगी।"

(5) याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता के मद्देनजर, याचिकाकर्ता उचित निर्देशों के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं।

(6) याचिकाकर्ताओं की अब छोटी शिकायत यह है कि शेट्टी आयोग ने स्टेनोग्राफर कैडर और जनरल लाइन कैडर के बीच भेदभाव किया है। उनके तर्क का समर्थन करने के लिए, जनरल लाइन कैडर की तुलना में स्टेनोग्राफरों के वेतनमान नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

शेट्टी आयोग की सिफारिश के बाद:

स्टेनोग्राफी लाइन/संवर्ग		लिपिक लाइन संवर्ग	
जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड) से जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे	रु. 6400-10640 (केवल एक वेतन वृद्धि)	रीडर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे (अब रीडर ग्रेड-1 के रूप में नामित)	रु. 7220-11660 (गलती से उनके पहले वेतन को 6400-10640 रुपये मानते हुए)
जज राइटर (जूनियर ग्रेड) से सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम/सिविल जज (जेडी)	रु. 5800-9200 (केवल एक वेतन वृद्धि)	रीडर टू सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम (अब रीडर ग्रेड-आईएल के रूप में नामित)	रु. 6400-10640 (नया नामित पद)
सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर डीएसजे/एडीजे से जुड़ा हुआ	रु. 5800-9200 (केवल एक वेतन वृद्धि)	—	—
स्टेनो-टाइपिस्ट सिविल जज (एस.डी./जे.डी.) से जुड़ा हुआ	रु. 4400-7000	सभी स्नातक क्लर्कों	रु. 5000-8100

(7) उपर्युक्त चार्ट में जनरल लाइन कैडर और स्टेनोग्राफी लाइन के वेतनमान को दर्शाया गया है। उपरोक्त स्थिति के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि वेतनमान के मामले में याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शेट्टी आयोग की सिफारिश से पहले, याचिकाकर्ताओं को बेहतर स्थिति में रखा गया था। शेट्टी आयोग से पहले वेतनमान की तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है: -

शेट्टी आयोग की सिफारिश से पहले:

स्टेनोग्राफी लाइन/कैडर		**लिपिक लाइन संवर्ग**	
जजमेंट राइटर (सीनियर ग्रेड) से जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे	रु. 6400-10640 (केवल एक वेतन वृद्धि	जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे को रीडर	रु. 5800-9200
जज राइटर (जूनियर टाइरेड) से सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम/ सिविल जज (जेडी)	रु. 5800-9200	रीडर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सीजेएम	रु. 5800-9200 (नया नामित पद)
		रीडर अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सीजेएम	रु. 3120-6500
सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर डी. एस. जे./ एस.डी.जे. से जुड़ा हुआ है	रु. 5800-9200		
सिविल जज से जुड़े स्टेनो-टाइपिस्ट (एस.डी./जे.डी.)	रु. 3330-6200	सभी क्लर्क रु. 3120-6200	

(8) अतः याचिका में की गई प्रार्थना स्टेनो टाइपिस्ट , जजमेंट राइटर ग्रेड II और जजमेंट राइटर ग्रेड I के वेतनमान को संशोधित करने की है।

(9) याचिकाकर्ताओं का यह स्वीकृत मामला है कि अब वेतनमान दिए जा रहे हैं और ऊपर विस्तार से संदर्भित किए जा रहे हैं, शेट्टी आयोग की सिफारिश पर दिए गए थे। 'याचिकाकर्ताओं' का दावा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उनकी अर्जियों पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता 7 अक्टूबर, 2009 के आदेश में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भरोसा करते हैं कि यह न्यायालय शेट्टी आयोग की सिफारिश को रद्द करने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है। मैं 7 अक्टूबर के आदेश में निहित निर्देशों से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क से सहमत नहीं हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 2009 में यह पूर्णत स्पष्ट कर दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और उच्च न्यायालय तथा राज्यों द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए थे। पक्षकारों को राज्यों/उच्च न्यायालयों में जाने की स्वतंत्रता केवल शेट्टी आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में है न कि अन्यथा। एक बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पक्ष पर शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और राज्यों और उच्च न्यायालयों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, तो इस न्यायालय के लिए शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने की अनुमति नहीं है, वह भी इस देरी के चरण में।

(10) इस मामले में हस्तक्षेप न करने का एक अतिरिक्त कारण है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि वेतनमान निर्धारित करना वेतन आयोग आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों का काम है। इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय का काम नहीं है।

(11) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। खारिज कर दिया।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक*

और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा